UPVR040159232019

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-2, वाराणसी।

परिवाद संख्या-1092/19

धर्मेन्द्र कुमार **बनाम** जटाशंकर वगै०

दिनांक- 03.06.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी।

प्रार्थनापत्र का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है कि परिवादी धर्मेन्द्र कुमार आनन्दुपरी कालोनी जिला वाराणसी का रहने वाला है। परिवादी की पुस्तैनी आराजी नं० 180 रकबा 2 एकड़ 54 डि० व आ०नं० 175/4 रकबा 38 डि० कुल 2 गाटा कुल रकबा 2 एकड़ 92 डि० स्थित मौजा पहड़िया परगना शिवपुर तहसील सदर जिला वाराणसी का बैनामा परिवादी के दादा व उनके भाई , भतीजा ने उपरोक्त आराजियात के मूल मालिक राम प्रसाद व जगरनाथ प्रसाद निवासी ग्राम अकथा परगना शिवपुर तहसील सदर वाराणसी से दिनांक 21.02.1948 को बैनामा करवाया और बैनामा के आधार पर सभी लोगों का नाम खतौनी 1356 फसली में आ गया। उपरोक्त आराजियात के क्रय विक्रय का सारा पैसा रुपया परिवादी के दादा का लगा था क्योंकि वे घर के बड़े कर्ता खानदान थे और सभी लोग संयुक्त रुप से उपरोक्त आराजियात में खेती किया करते थे। परिवादी के दादा के जीवन काल में ही उनके बड़े भाई फौत कर गये इसलिए सत्तन के 1/5 भाग के मालिक जमींदारी विनाश अधिनयिम की धारा 171 के तहत उनके निकटतम वारिस जगरनाथ पुत्र बिल्लू हो गये। उपरोक्त आराजियात का कभी भी आपसी बंटवारा नहीं हुआ था परन्तु दिनांक 27.06.66 को दफा 176 जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत एक दावा हाकिम परगना साहब बहादुर के न्यायालय में घुट्टुर पुत्र सहदेव दाखिल जो अदालत द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। जिसका मुकदमा नं० 44/1996 घुट्टुर बनाम दूधनाथ कायम हुआ जिसने अदालत ने दोनों पक्षों का साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देने के बाद दिनांक 17.07.1978 को आदेश पारित किया। जिसमें अदालत ने घुट्टुर का 1/5 भाग का खाता अलग किया और बकिया अन्य विपक्षीगण का खाता एक साथ रखा। अभियुक्तगण व उसकी माता उस समय के हल्का लेखपाल को मिलाकर हक से अधिक आदेश 17.07.78 के विरुद्ध जाकर बिना किसी आदेश के खाता अलग करा लिया जबकि आदेश दिनांक 21.02.1975 में मात्र वादिनी भागीरथी पत्नी घुट्टुर का 1/5 भाग का अलग खाता किया गया था और शेष प्रतिवादीगण का संयुक्त खाता रखा गया था। दिनांक 17.07.1978 में वादिनी भागीरथी पत्नी घुट्टुर का फाट क- 1 फाट प्रतिवादीगण क-2 बनाया गया था जिसके क-1 वादिनी व प्रतिवादीगण जो संयुक्त रुप से जगरनाथ व मु० अन्ती विधवा दिन्नू व जटाशंकर व कान्ता खास परिवादी का फाट क-2 बनाया गयाय़ लेकिन लेखपाल ने फाट में कटिंग करके दिनांक 01.03.1978 को बिना किसी आदेश के न्यायालय के आदेश के विरुद्ध जाकर फाट क-4 जगरनाथ व दिन्नू व एक अन्य फाट क-5 जटाशंकर व कान्ता मु० शान्ति देवी का जो बिना किसी आदेश का फ्राड करके बनाया गया। अभियुक्त

जटाशंकर ने क्रमशः बैनामा अपने हक से अधिका का उपरोक्त अभियुक्तगण को कर दिया था और आज तक बैनामा के आधार पर न क्रेता न विक्रेता का कब्जा विवादित आराजियात पर कभी नहीं हुआ। अभियुक्तगण ने बिना किसी आदेश का अपना फाट अलग कायम कराकर फ्राड व चार सौ बीसी का अपराध कारित किया है और परिवादी का क्षति कारित किया है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक रजिस्ट्री दिनांक 01.04.19 को किया और दिनांक 04.04.2019 को एक प्रार्थना पत्र हाथो हाथ सौंपा परन्तु आज तक अभियुक्तगण के ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी। अभियुक्त जटाशंकर ने अपना 1/5 भाग क्रमशः प्रदीप कुमार सिंह को दिनांक 20.06.23 रकबा 2720 वर्गफीट बैनामा किया और अरविन्द कुमार श्रीवास्ताव को 1122 वर्गफीट का बैनामा कर दिया उसके बाद पद्मावती देवी को 2720 वर्गफीट जमीन का विक्रय किया उसके बाद जगदीश सिंह व गौरव कुमार सिंह को 2716 वर्गफीट उसके बाद बचईराम को दिनांक 25.02.2000 को 2200 वर्गफीट कर दिया उसके बाद आशा सिंह उर्फ आभा सिंह दिनांक 13.12.99 को 3000 वर्गफीट कर दिया जबकि अभियुक्त का विवादित आराजी में 1/5 भाग रकबा 24480 वर्गफीट बनता है जिसमें से 15 फीट व 18 फीट का रास्ता निकाल करके 14478 वर्गफीट यानि 10.64 बिस्वा प्लाट बिक्री व 9278 वर्गफीट यानि 7 बिस्वा रास्ता यानि कुल रकबा 18 बिस्वा 6 लोगो को विक्रय कर चुके है। उपरोक्त आराजी में 1/5 भाग 18 बिस्वा अभियुक्त जटाशंकर ने उपरोक्त आराजियात का विक्रय करने के बाद पुनः परिवादी का हिस्सा छल कपट कर फर्जी बैनामा निष्पादित अभियुक्त जटाशंकर 2 लगायत 14 को कर दिया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत वाद के तथ्यों पर गौर करने से यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद की प्रकृति पूर्णतया जमीन से सम्बन्धित मामला व सिविल प्रकृति के जैसी प्रतीत होती है। अतः प्रथम दृष्टया आपराधिक कृत्य जैसा कोई भी तथ्य प्रार्थी के कथनों से साबित नहीं होता है। प्रार्थिनी ने अपने परिवादपत्र के कथनों के समर्थन में स्वयं को धारा 200 दं.प्र.सं. व अन्य गवाहों को धारा 202 के तहत परीक्षित कराया। परीक्षित गवाहों के बयानों के आधार पर प्रस्तुत वाद की प्रकृति सिविल प्रकृति की प्रतीत होती है। **Usha Chakraborty & Anr. Vs. State of West Bengal & Anr. wherein it has been observed that criminal proceedings are liable to be quashed, if there is an attempt to give a colour of criminal offence to a civil dispute.** अतः प्रार्थिनी का परिवाद किसी भी दाण्डिक अपराध की श्रेणी में आता प्रतीत नहीं होता है, जिसके आधार पर विपक्षीगण को तलब किया जा सके। अतः प्रस्तुत परिवाद सिविल प्रकृति का वाद होने के कारण खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवाद संख्या- 1092/19 खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल-दफ्तर हो।

(सुश्री जयति)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट संख्या-02, वाराणसी।
J.O. Code-UP3728